कार्यालय,
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
लोक शिकायत अनुभाग–2
लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ

संख्या–आरटीआई– 205 /लो0शि0–2/2013 लखनऊ दिनांक 07 मई, 2013

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कृपया डा0 अशोक कुमार (सी.एम.एम.ई.ओ. आफिस) अमर माया एन्कलेव, चाँदपुर रोड, बुलन्दशहर –203001 का जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 संबंधी संलग्न पत्र दिनांक 23.04.2013 का संलग्नकों सहित अवलोकन करने का कष्ट करें। डा0 अशोक कुमार का मा0 मुख्य मंत्री जी को विषयवस्तु से सम्बन्धित पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2013 मूलरूप आपको लोक शिकायत अनुभाग–2 के कम्प्यूटर संख्या पीजीओ–5233228/ लो0शि0–2/2012, दिनांक 11.03.2013 द्वारा आपको प्रेषित किया गया है।

2. अतः आवेदक के जनसूचना के अधिकार संबंधी उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2013 तथा उससे संलग्न रू0 10/– के भारतीय पोस्टल आर्डर (संख्या–17 एफ 126217) को मूलरूप में संलग्न कर अधिनियम की धारा–6(3) के तहत समयान्तर्गत कृत कार्यवाही की वांछित सूचना/जानकारी आवेदक को दिये जाने हेतु आपको अन्तरित किया जा रहा है। वांछित सूचना प्रदान करने हेतु आपके विभाग के जनसूचना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार(मूलरूप में)।

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
अनु सचिव, मुख्यमंत्री
एवं जनसूचना अधिकारी।

संख्या–आरटीआई 205 (1)/लो0शि0–2/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 अशोक कुमार (सी.एम.एम.ई.ओ. आफिस) अमर माया एन्कलेव, चाँदपुर रोड, बुलन्दशहर –203001 का जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 संबंधी पत्र दिनांक 23.04.2013 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रकरण में कृत कार्यवाही की वांछित सूचना/जानकारी **प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग** से प्राप्त करने हेतु पत्राचार करने का कष्ट करें।
2. मुख्य मंत्री कार्यालय, जन सूचना अधिकार सेल उनके कम्प्यूटर संख्या–मुमस/1857/जसूअ/2013 के कम में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
अनु सचिव, मुख्यमंत्री
एवं जनसूचना अधिकारी